


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 583 / 2014.....

जिला.....भीलवाडा.....

सनवान— मैं ० त्रिपुति एन्टरप्राइजेज प्राइलि० भीलवाडा जरिए डायरेक्टर श्री नरेन्द्र पुत्र घनश्यामलाल ओझा, भीलवाडा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिए उपंपजीयक —भीलवाडा व अन्य ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य</u></p> <p>प्रार्थी निगरानीकर्ता के अभिभाषक श्री ईश्वर देवडा व अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री जमील जई, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे प्रार्थी अभिभाषक द्वारा, प्रस्तुत निगरानी को विद्वा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इस प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निगरानी विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 583 / 2014 “सारहीन” हो जाने के कारण खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right; margin-top: -100px;">  आशा कुमारी ०५.२.२०१५ (आशा कुमारी) सदस्य </p>	